

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत
अभिलेख संख्या-20/2024-25

-: आदेश :-

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
24/08/24	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) हरिपद रजवार पिता-स्व0 करमु रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-अमलाबाद, टोला-रोहनियाटोंड़, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो के द्वारा चन्दनकियारी अंचल अन्तर्गत मौजा-अमलाबाद, थाना सं0-213, खाता सं0-55, प्लॉट सं0-1012, रकवा-25 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 379/भू0सु0, दिनांक 22.08.2024 द्वारा अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी के पत्रांक 1392 दिनांक 11.09.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री किये जाने वाले भूमि सर्वे रैयती खाते की है। सर्वे खतियान नारायण रजवार दी0 के नाम से दर्ज है। 2. विक्रेता को उक्त भूमि खतियान से प्राप्त है। 3. पंजी II रैयत से विक्रेता का संबंध पुत्र का है। 4. विक्रेता-हरिपद रजवार पिता-स्व0 करमु रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-अमलाबाद, टोला-रोहनियाटोंड़, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो के निवासी है एवं क्रेता-मधु रजवार पिता-कालीपदो रजवार, जाति-रजवार, ग्राम-आमलाबाद, टोला-रोहनियाटोंड़, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो के निवासी है। 5. क्रेता एवं विक्रेता (ST मामले) अंतर्गत है। अनुपालनीय नहीं है। 6. क्रेता एवं विक्रेता (SC & OBC मामले) एक ही जिला के निवासी हैं एवं बिक्री जाने वाली भूमि उसी जिला के अन्तर्गत है। 7. विक्रेता एवं क्रेता जाति के रजवार है। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/धार्मिक-स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता के पास लगभग 2.19 एकड़ भूमि अवशेष बचता है। 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल रकवा 2.19 एकड़ है। 12. बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 13. विक्रेता को उक्त भूमि खतियान से प्राप्त है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी ऑनलाईन में भाग सं0-1 एवं पृष्ठ सं0-55 है तथा जमाबंदी नारायण रजवार दी0 के नाम से कायम है। जिसका वर्ष 2023-24 तक लगान रसीद निर्गत है। 15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल-कब्जा है। 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किस्म बाईद है। 18. आवेदित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत बिक्री करने हेतु अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी द्वारा अनुशंसा की गई है। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश पर
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख से

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० सं० JHLRCO/2023/776225
दिनांक 25.12.2023 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०
JHLRCO/2024/327563 दिनांक 25.04.2024 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

अतः अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा
के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत
आवेदक (विक्रेता) हरिपद रजवार पिता-स्व० करमु रजवार, जाति-रजवार,
ग्राम-अमलाबाद, टोला-रोहनियाटॉड़, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो के द्वारा
चन्दनकियारी अंचल अन्तर्गत मौजा-अमलाबाद, थाना सं०-213, खाता सं०-55, प्लॉट
सं०-1012, रकबा-25 डी० भूमि (क्रेता) मधु रजवार पिता-कालीपदो रजवार,
जाति-रजवार, ग्राम-आमलाबाद, टोला-रोहनियाटॉड़, थाना-चन्दनकियारी,
जिला-बोकारो को विक्री करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उपसमिति,
चास।

भूमि सुधार उपसमिति,
चास।

C.C. निगम
छोटा नागपुर
8/12/24